पटना में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में

2019 का आपराधिक संशोधन No.485

थाना कांड सं.-64 वर्ष-2016 थाना-घरेलू हिंसा जिला-पटना, से उत्पन्न

==========

प्रमोद कुमार रॉय पुत्र- वकील रॉय फ्लैट सं.बी-4 लोटस अपार्टमेंट, मंडा टिटवाला (पश्चिम), तालुका कल्याण, थाना-टिटवाला, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

वर्तिका राय पत्नी-प्रमोद कुमार, पुत्री-अशोक कुमार चक्रवर्ती भाया अरविंद कुमार निवासी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मकान सं.102, जगानंद वारसी अपार्टमेंट, 10 गोकुल पथ, उत्तर कृष्णपुरी, बोरिंग रोड, थाना-एस. के. पुरी, जिला-पटना।

.... उत्तरदाता/गण

==========

घरेलू हिंसा से महिलाओं की रोकथाम अधिनियम, 2005-क्या निचली अदालत पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना अंतिम आदेश पारित कर सकती है-क्या इस तरह के आदेश को अपीलीय अदालत द्वारा बरकरार रखा जा सकता है?–Cr.P.C-धारा 125-पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति है-अदालत साक्ष्य दर्ज करने के लिए बाध्य है-विद्वान दंडाधिकारी का बाध्य कर्तव्य है कि वह पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे-पी०डब्लू०डी०भी० अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन का निपटान करते समय पी०डब्लू०डी०भी० अधिनियम की नियम 6(5) का सहारा लिया जाए। अधिनियम, 2005-पारित आदेश प्रक्रियात्मक अवैधता से ग्रस्त हैं-पक्षकारों को साक्ष्य देने का अवसर दिए बिना पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया-पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम के तहत आवेदन अब एकीकृत आवेदन नहीं है-कोई भी राहत परिवाद नहीं है और इसे परिवाद मामले के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है।

निचली अदालत ने पक्षों को साक्ष्य देने का अवसर देने का निर्देश दिया- पी०डब्लू०डी०वी० अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन के निपटारे तक आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी गई।

पटना में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में

2019 का आपराधिक संशोधन No.485

थाना कांड सं.-64 वर्ष-2016 थाना-घरेलू हिंसा जिला-पटना, से उत्पन्न

==========

प्रमोद कुमार रॉय पुत्र- वकील रॉय फ्लैट सं.बी-4 लोटस अपार्टमेंट, मंडा टिटवाला (पश्चिम), तालुका कल्याण, थाना-टिटवाला, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

वर्तिका राय पत्नी-प्रमोद कुमार, पुत्री-अशोक कुमार चक्रवर्ती भाया अरविंद कुमार निवासी, वरिष्ठ अधिवक्ता, मकान सं.102, जगानंद वारसी अपार्टमेंट, 10 गोकुल पथ, उत्तर कृष्णपुरी, बोरिंग रोड, थाना-एस. के. पुरी, जिला-पटना।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सैयद हुसैन मजीद, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

मौखिक निर्णय

तारीखः31-01-2024

हालाँकि, विरोधी पक्ष ने अपने विद्वान अधिवक्ता, श्री अशोक कुमार के माध्यम से 5/6 मई, 2019 को वकालतनामा दायर करके तत्काल कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज कराई, जब मामला बुलाया जाता है, तो विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

2. तत्काल संशोधन में शामिल एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या निचली अदालत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत किसी कार्यवाही में पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिए बिना अंतिम आदेश पारित कर सकती है और दूसरा, क्या ऐसा आदेश 2018 की आपराधिक अपील संख्या 216 में अपील की अदालत द्वारा बरकरार रह सकता है जो तत्काल संशोधन में आक्षेपित है। मामले का तथ्यात्मक पहलू हालांकि तत्काल संशोधन के निपटारे के लिए अत्यधिक प्रासंगिक नहीं है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता विपरीत पक्ष का पति है और उनकी शादी 18 नवंबर, 2013 को हुई थी। विवाह के बाद, विरोधी पक्ष ने घरेलू हिंसा का शिकार होने की शिकायत की और उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 18,19,20 और 22 के तहत राहत के लिए प्रार्थना की गई।

3. वर्तमान याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में विरोधी पक्ष होने के नाते उपस्थिति दर्ज की और हलफनामे पर अपना कारण दर्शाएँ/लिखित बयान दायर किया और हलफनामे पर पक्षों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर, निचली अदालत ने विरोधी पक्ष के पक्ष में मौद्रिक राहत देने का आदेश पारित किया। 23, 000/- भरण-पोषण के रूप में विपक्षी पक्ष के मौजूदा खाते में जमा की जाने वाली राशि।

4. उक्त दिनांक 21 जून, 2018 की पुष्टि 2018 की आपराधिक अपील संख्या 216 में आदेश तिथि 13 फरवरी, 2019 के माध्यम से की गई थी।

5. इसका प्रतिवाद याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है कि अधिनियम की धारा 28 में कहा गया है कि धारा 12,18,19,20,21,22,23 के तहत सभी कार्यवाहियां और धारा 31 के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। पी.डब्ल्यू.डी. भी नियम, 2006 के नियम 6 (5) में कहा गया हैः-

"धारा 12 के तहत आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत निर्धारित उसी तरीके से आदेशों को लागू किया जाएगा। "

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक प्रक्रिया का संक्षिप्त परीक्षण प्रदान करती है। संक्षेप में एक परीक्षण में, पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति है और अदालत पक्षों के साक्ष्य को संक्षेप में दर्ज करने के लिए बाध्य है और अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य के आधार पर, दंड प्र.सं. की धारा 125 के तहत एक कार्यवाही तय की जाती है।

7. हालाँकि यह प्रावधान किया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत एक कार्यवाही को संक्षिप्त मुकदमे की तरह समान नाबालिग में निपटा जाएगा, लेकिन विद्वान दंडाधिकारी की अदालतों में, पूरे देश में कुछ अपवादों को छोड़कर दंडाधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार समन प्रक्रिया में निर्धारित तरीके से पक्षों के साक्ष्य को दर्ज करते हैं। इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत एक आवेदन का निपटान करते समय, यह विद्वान दंडाधिकारी का बाध्य और कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षों को अवसर दे। अतिरिक्त साक्ष्य को जिरह के लिए रखा जाएगा और अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर दंडाधिकारी आवेदन का निपटारा कर सकता है। निष्कर्ष में, दंडाधिकारी के पास पक्षकारों के साक्ष्य को दर्ज किए बिना दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत एक आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है। अधिनियम के नियम 6 के उप-नियम (5) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम के तहत आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी और आदेशों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत निर्धारित तरीके से लागू किया जाएगा।

8. इसी तरह का सवाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (ग्वालियर पीठ) और एक समन्वय पीठ के समक्ष ***मधुसूदन भारद्वाज और अन्य बनाम ममता भारद्वाज*** *ने* ***2009 में***

सी. आर. एल. जे. 3095 निर्देशित मुकदमे में प्रतिवेदित, मामले में निर्णय, न्यायालयों को वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत आवेदन का निपटान करते समय अपनाई गई थी।

9. धारा 28 का उपनियम (2) निश्चित रूप से विद्वान दंडाधिकारी को धारा 12 के तहत या धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देता है, लेकिन उक्त प्रावधान पी.डब्ल्यू.डी.भी. अधिनियम की धारा 12 के तहत किसी आवेदन का अंतिम रुप से निपटान करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित अदालत के कर्तव्य को विनियमित नहीं करता है।

10. अपील की अदालतों ने 2018 की आपराधिक अपील संख्या 216 का निपटारा करते हुए ***मनीष कुमार सोनी और ओआरएस बनामबिहार राज्य और अन्य ने 2016 में रिपोर्ट किया (4) अपराध 236 (पटना)*** मामले में इस अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित फैसले पर गलत तरीके से भरोसा किया।

11. उक्त निर्णय में, कंडिका 23 में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि निचली अदालत को पी.डब्ल्यू.डी.भी अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन का निपटारा करते समय पी.डब्ल्यू.डी.भी नियमों के नियम 6 (5) का सहारा लेना होगा।

12. वर्तमान मामले में, विद्वान दंडाधिकारी के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त हैं क्योंकि अंतिम आदेश पक्षकारों को साक्ष्य देने का कोई अवसर दिए बिना विरोधी पक्षकार को मौद्रिक राहत देते हुए पारित किया गया था।

13. उपरोक्त अनियमितता प्रक्रियात्मक त्रुटि की जड़ को छूती है और निचली अदालत और अपीलीय अदालत दोनों के आदेशों को अवैध, निष्क्रिय और खारिज किए जाने योग्य बनाती है। तदनुसार, 2016 के डी. वी. मामला संख्या 64 में पटना के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दोनों आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।

14. पक्षकारों को साक्ष्य देने के लिए संचालित करने के बाद P.W.D.V अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत आवेदन का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है।

15. इसके साथ भाग लेने से पहले, मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि बिहार राज्य की कई अदालतों में पी.डब्ल्यू.डी.भी अधिनियम के तहत एक आवेदन शिकायत मामले के रूप में दर्ज किया जाता है। यह अब पी.डब्ल्यू.डी.भी के प्रावधान के तहत एकीकृत आवेदन नहीं है। किसी भी राहत के लिए अधिनियम कोई शिकायत नहीं है और इसे शिकायत मामले के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। अब से ऐसे आवेदनों को क्रमिक संख्या और दाखिल करने के वर्ष के साथ घरेलू हिंसा मामले या डी. वी. मामले के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इस आदेश के अनुपालन के लिए, आदेश को बिहार न्यायिक अकादमी के माध्यम से बिहार राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों को प्रसारित किया जाए। बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायत मामले के रूप में पी.डब्ल्यू.डी.भी अधिनियम के तहत आवेदन दर्ज नहीं करने के कारण के बारे में विद्वान दंडाधिकारी को अवगत कराए।

16. चूंकि विरोधी पक्ष ने वर्ष 2016 में पी.डब्ल्यू.डी.भी अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी आदेश के संचार की तारीख से छह

महीने के भीतर दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर मामले की सुनवाई को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास करेंगे।

17. विवादित आदेश को दरकिनार किए जाने के मद्देनजर, इस तरह के आदेश के क्रियान्वयन पर वर्ष 2016 में पी.डब्ल्यू.डी.भी अधिनियम की धारा 12 के तहत विपरीत पक्ष द्वारा दायर आवेदन के नए सिरे से निपटारे पर रोक लगाई जाए। पी.डब्ल्यू.डी.भी अधिनियम की धारा 12 के तहत वर्ष 2016 में विरोधी पक्ष द्वारा दायर आवेदन।

18. पक्षकार आदेश की सर्वर प्रति पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

गुड्डू/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।